न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारी— श्री पर्वत सिंह चुण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या— 06 / 2023

तारीख दायर—09.06.2023
तारीख— निर्णय—30.8.2024

1. श्रीमती हीरकी पत्नी केरिया मीणा निवासी बोरकापानी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

.......वादीगण

बनाम

1. श्रीमती केशरी पुत्री नाथु मीणा निवासी जाम्बुआ तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती मोती पुत्री नाथु मीणा निवासी जाम्बुआ तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित— वादी की ओर से— श्री चेतन प्रकाश मेनारीया
प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा जाम्बुआ पटवार क्षेत्र ओवरा भू.अ.निरीक्षक क्षैत्र देवलीया तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 13 व पुराना 11 के आराजी नम्बर 20/2 रकबा 0.3024 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 26 रकबा 0.1944 हैक्टेयर आराजी नम्बर 29 रकबा 0.2592 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 04 रकबा 0.4212 किता 04 कुल रकबा 1.1772 भूमि स्थित है। उक्त आराजीयात भूमि पर वादीया एवं प्रतिवादीया की संयुक्त स्वामित्व खातेदार होकर वादीया एवं प्रतिवादीया संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीया एंव प्रतिवादीया के मध्य सीमा को लेकर विवाद होने से आये दिन कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है साथ ही मौके पर मौखिक विभाजन होने से सीमा को लेकर विवाद होता रहता है। वादी द्वारा प्रतिवादीया को भूमि के विभाजन हेतु कई मर्तबा निवेदन किया, परन्तु प्रतिवादीया द्वारा विभाजन किये जाने में कोई तत्परता नही दिखाने से वादी को माननीय न्यायालय आप में उक्त वाद संस्थित करना आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी का वादी एवं प्रतिवादीया के मध्य विभाजन की डिक्री पारित किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः निवेदन किया गया कि वादीया का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त आराजी का विधिक विभाजन बाई मिट्स एण्ड बांउडस के आधार पर किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीया को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादीयो द्वारा प्रकरण में जवाब पेश नही किये जाने से प्रतिवादीगणों का जवाब बन्द किया गया व प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। तत्पश्चात् प्रकरण

...धिकारी
लसाडिया, ... सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

में विद्वान अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता वादीया ने अपनी बहस में वही कथन कहै है, जो अपने वादपत्र में अंकित किये है। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादीया की एक तरफा बहस पर मनन, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी के अवलोकन से वादीया एवं प्रतिवादीगणो वादग्रस्त आराजियात के संयुक्त खातेदार है। वादी वादग्रस्त आराजियात का बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन चाहते है। जिसमे प्रतिवादीगण को भी भूमि के विभाजन में कोई आपत्ती नही है। उक्त तथ्यों के आधार पर वादीया का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है। एवं मौजा जाम्बुआ पटवार क्षेत्र ओवरा तहसील लसाडिया के खाता संख्या नया 13 व पुराना 11 के आराजी नम्बर 20/2 रकबा 0.3024 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 26 रकबा 0. 1944 हैक्टेयर आराजी नम्बर 29 रकबा 0.2592 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 04 रकबा 0.4212 किता 04 कुल रकबा 1.1772 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्स के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 .को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
लसाडिया सलुम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

वाद डिकी

पीठासीन अधिकारी:- श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या:- 06/2023

तारीख दायर-09.06.2023
तारीख- निर्णय-30.8.2024

1. श्रीमती हीरकी पत्नी केरिया मीणा निवारी बोरकापानी तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........वादीगण

बनाम

1. श्रीमती केशरी पुत्री नाथु मीणा निवारी जाम्बुआ तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)
2. श्रीमती गोती पुत्री नाथु मीणा निवारी जाम्बुआ तहसील सलुम्बर जिला सलुम्बर (राज.)
3. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया।

...........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री चेतन प्रकाश मेनारीया
प्रतिवादी की ओर से- एक तरफा

निर्णय

पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 30.08.2024 को प्रस्तुत होने पर वादी का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है एवं मौजा जाम्बुआ पटवार क्षेत्र ओवरा भू.अ. निरीक्षक क्षैत्र देवलीया के खाता संख्या नया 13 व पुराना 11 आराजी नम्बर 20/2 रकबा 0. 3024 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 26 रकबा 0.1944 हैक्टेयर आराजी नम्बर 29 रकबा 0.2592 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 04 रकबा 0.4212 किता 04 कुल रकबा 1.1772 हैक्टेयर भूमि का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर बाईमिट्स एण्ड बाउड्रस के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार लसाडिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलुम्बर